



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032022-234321
CG-DL-E-21032022-234321

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1169]
No. 1169]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/ फाल्गुन 30, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 1209(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2057(अ) दिनांक 28 May 2021, का.आ. 2932(अ) दिनांक 26 July 2021, का.आ. 3676(अ), दिनांक 10 September 2021, का.आ. 699(अ) दिनांक 15 February 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 (दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे) के कि.मी. 514.5 से कि.मी. 566.42 (वजरात रोड, पीर खो, पक्की ढाकी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर 180001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " दिनांक 30 जुलाई 2021, 14 सितंबर 2021 और 19 फरवरी 2022," को "डेली एक्सेलसियर और अमर उजाला", "दिनांक 12 जून 2021" को "डेली एक्सेलसियर" और "पंजाब केसरी" " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 (दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे) के कि.मी. 514.5 से कि.मी. 566.42 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बाहु				
	गांव का नाम: बाहु				
1	567	सरकारी	गैर कृषि (जंगल)	0.0152	मालिक: सरकारी जमीन कल्टीवेटर: मकबूजा वन विभाग ()
	तालुक का नाम: जम्मू				
	गांव का नाम: दवारा				
1	56	सरकारी	गैर मुमकिन झाड़	0.60696	मालिक : राज्या किरायेदार : वन विभाग (56 min) ()
2	59/41	सरकारी	गैर मुमकिन झाड़	1.648908	मालिक : राज्या किरायेदार : वन विभाग ()
	गांव का नाम: रंगूरा				
3	161	सरकारी	गैर मुमकिन झाड़	0.1239	मालिक : राज्या किरायेदार: मकबूजा विकास प्राधिकरण जम्मू ()
4	163	सरकारी	बंजर क़दीम	0.1138	मालिक : राज्या किरायेदार: मकबूजा

			अदक		विकास प्राधिकरण जम्मू (163 min) ()
5	171	सरकारी	गैर मुमकिन झाड़	0.5766	मालिक : राज्या किरायेदार: मकबूजा विकास प्राधिकरण जम्मू (171 min) ()
6	173	सरकारी	गैर मुमकिन झाड़	0.1315	मालिक : राज्या किरायेदार: मकबूजा विकास प्राधिकरण जम्मू (173 min) ()
7	192	सरकारी	बंजर क़दीम अदक	3.0778	मालिक : राज्या किरायेदार: मकबूजा विकास प्राधिकरण जम्मू (192 min) ()
तालुक का नाम: नगरोटा					
गांव का नाम: बन					
1	19	निजी	कृषि	0.0152	मालिक:- राज देवी और अन्य कल्टीवेटर:- देव राज पुत्र कृष्ण चंद वेंडी ()
2	20	निजी	कृषि	0.0025	मालिक:- बिहारी लाल पुत्र बंसी तारखान कल्टीवेटर:- स्वयं साधना ()
3	21	निजी	कृषि	0.0101	मालिक:- पूरन सिंह एवं अन्य कल्टीवेटर:- स्वयं साधना ()
4	22	निजी	कृषि	0.0126	मालिक:-सरवन और अन्य कल्टीवेटर:- थोरू राम पुत्र संत राम शेयर होल्डर ()
5	24	निजी	कृषि	0.0051	मालिक:-संत राम और अन्य कल्टीवेटर:- थोरू राम पुत्र संत राम शेयर होल्डर ()
6	25	निजी	कृषि	0.0329	मालिक:- फकीर सिंह और अन्य कल्टीवेटर:- राम सिंह शेयर होल्डर ()
7	26	निजी	कृषि	0.0278	मालिक:- राज देवी और अन्य कल्टीवेटर:- गिरधारी वंडी (1 मरला),

					ठाकर दास (6 मरला) और नर सिंह शेयर होल्डर(4 मरला) ()
8	27	निजी	कृषि	0.0152	मालिक:- शामिलत देह कल्टीवेटर:- पूरन सिंह शेयर होल्डर वेंडर कनीज फातिमा पत्नी मोहम्मद रशीद बंडी ()
9	27	निजी	कृषि	0.0177	मालिक:- शामिलत देह कल्टीवेटर:- राम सिंह शेयर होल्डर (27 Min)
10	28	निजी	कृषि	0.0152	मालिक:- पूरन सिंह एवं अन्य कल्टीवेटर:- स्वयं साधना ()
11	33	निजी	कृषि	0.0354	मालिक :- कृषि सुधार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य भूमि कल्टीवेटर :- सरवन एवं अन्य । संभावित मालिक ()
12	36	निजी	कृषि	0.0126	मालिक:- पूरन सिंह एवं अन्य कल्टीवेटर:- स्वयं साधना ()
13	728	निजी	गैर कृषि	0.4755	मालिक:- शामिलत देह कल्टीवेटर:- वन विभाग ()
14	787	निजी	गैर कृषि	0.0202	मालिक:- शामिलत देह कल्टीवेटर:- एल्हे इस्लाम ()
15	792	निजी	गैर कृषि	1.3935	मालिक:- शामिलत देह कल्टीवेटर:- मकबूजा मलकान और बंडी का मालिक व वन विभाग से विवाद ()
16	793	निजी	कृषि	0.0759	मालिक:- शामिलत देह कल्टीवेटर:- शिव देव सिंह पुत्र फतेह सिंह ()
17	807	निजी	गैर कृषि	0.6854	मालिक:- शामिलत देह कल्टीवेटर:-वन विभाग ()

	गांव का नाम: पंजाग्रेन				
18	753	निजी	गैर कृषि	0.0038	मालिक: मस्त राम बेटा इंदू वन शेयर संत राम त्रिलोक निक्का के बेटे बराबर 2 शेयर ठक्कर निवासी देह कल्टीवेटर: मकबूजा मालिक ()
			कुल	9.151268	

फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 1209(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 2057(E) Dated 28 May 2021, SO 2932(E) Dated 26 July 2021, SO 3676(E), Dated 10 September 2021, SO 699(E) Dated 15 February 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5(**Delhi - Ludhiana- Amritsar - Katra Expressway**) on the stretch of land from Km 514.5 to Km 566.42 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Excelsior*” and “*Amar Ujala*” both dated 30 July 2021, 14 September 2021 and 19 February 2022; “*Daily Excelsior*” and “*Punjab Kesri*” both dated 12 June 2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from 514.5 to 566.42 NH-NE5 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bahu				
	Village: Bahu				
1	567	Government	Non Agriculture(Forest)	0.0152	Owner: Govt Land Cultivator: Makbooza Forest Department
	Taluk: Jammu				
	Village: Dwara				
1	56	Government	Gair Mumkin Jhad	0.60696	Owner : State. Tenent : Forest Department (56 min)
2	59/41	Government	Gair Mumkin Jhad	1.648908	Owner : State. Tenent : Forest Department
	Village: Rangoora				
3	161	Government	Gair Mumkin Jhad	0.1239	Owner : State. Tenent : Maqbuja Development Authority Jammu
4	163	Government	Banjar Qadeem Adak	0.1138	Owner : State. Tenent : Maqbuja Development Authority Jammu (163 min)
5	171	Government	Gair Mumkin Jhad	0.5766	Owner : State. Tenent : Maqbuja Development Authority Jammu (171 min)
6	173	Government	Gair Mumkin Jhad	0.1315	Owner : State. Tenent : Maqbuja Development Authority Jammu (173 min)
7	192	Government	Banjar Qadeem Adak	3.0778	Owner : State. Tenent : Maqbuja Development Authority Jammu (192 min)
	Taluk: Nagrota				
	Village: Ban				
1	19	Private	Agriculture	0.0152	Owners:- Raj Devi and other Cultivators:- Dev Raj s/o Krishan Chand Vendee
2	20	Private	Agriculture	0.0025	Owners:- Behari lal s/o Bansi Tarkhan Cultivators:- self cultivation
3	21	Private	Agriculture	0.0101	Owners:- Puran Singh and others Cultivators:- Self cultivation
4	22	Private	Agriculture	0.0126	Owners:-Sarvan and others Cultivators:- Thoru ram s/o Sant Ram share holder
5	24	Private	Agriculture	0.0051	Owners:-Sant Ram and others Cultivators:- Thoru ram s/o Sant Ram share holder

6	25	Private	Agriculture	0.0329	Owners:- Fakir Singh and others Cultivators:- Ram Singh share Holder
7	26	Private	Agriculture	0.0278	Owners:- Raj Devi and others Cultivators:- Girdhari Vandee (1 Marla), Thakar Das (6 Marla) and Nar Singh share Holder (4 Marla)
8	27	Private	Agriculture	0.0152	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Puran Singh Share holder vendor Kaniz Fatima w/o Mohd. Rasheed Vandee
9	27	Private	Agriculture	0.0177	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Ram Singh Share Holder 27 Min
10	28	Private	Agriculture	0.0152	Owners:- Puran Singh and others Cultivators:- self cultivation
11	33	Private	Agriculture	0.0354	Owners:- State land under section 4 Agrarian Reform Act Cultivators:- Sarvan and others . Prospective owners
12	36	Private	Agriculture	0.0126	Owners:- Puran Singh and others Cultivators:- self cultivation
13	728	Private	Non Agriculture	0.4755	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Forest Department
14	787	Private	Non Agriculture	0.0202	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Elhe Islam
15	792	Private	Non Agriculture	1.3935	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Maqbooza Malkan and Vandee Dispute with Owner and Forest Department
16	793	Private	Agriculture	0.0759	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Shiv Dev Singh s/o Fateh Singh
17	807	Private	Non Agriculture	0.6854	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Forest Department
Village: Panjgrain					
18	753	Private	Non agriculture	0.0038	Owner: mast ram son of indru one share sant ram triloku sons of nikka equal 2 share thakkar r/o deh Cultivator: Makbooza owner
TOTAL				9.151268	

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D1]

RAJESH GUPTA, Director